(18)

क्रम-संख्या—203

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी० -41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 अगस्त, 2004

भाद्रपद 3, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या-1235/सात–वि–1-1(क) 16/2004

लखनऊ, 25 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 24 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2004

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2004]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) यह 28 मई, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,—

(क) उपधारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात व्यक्ति, जिसने शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो, न हो।"

(ख) उपधारा (3) में, खण्ड (ग) में उपखण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

"(चार) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात व्यक्ति, जिसने शिक्षा क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो, न हो।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2004।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समन उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेहा अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की संरचना की व्यवस्था की गयी है। उक्त धारा में उक्त बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु दी गयी अर्हताओं के रहते हुए उक्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे जिससे अध्यापकों के चयन में विलम्ब हो रहा था। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताओं मे आवश्यक परिवर्तन करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 मई, 2004 को उत्तर प्रेदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

NO. 1235/VII-V-1-1(Ka) 16/2004
Dated Lucknow, August 25, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 [Uttar Pradesh Adhiniyam

Sankhya 28 of 2004] as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 24, 2004 :—

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD (AMENDMENT) ACT, 2004

(U. P. Act No. 28 of 2004)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982.

उत्तर प्रदेश अध्या
संख्या 5 सन् 200

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 28, 2004.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 5 of 1982

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982, hereinafter refered to as the said Act,—

(a) in sub-section (2) *after* clause *(b)* the following clause shall be *inserted*, namely :—

"*(c)* is in the opinion of the State Government, an eminent person having made valuable contribution in the field of education."

(b) in sub-section (3) in clause *(c) after* sub-clause *(iii)* the following sub-clause *(iv)* shall be *inserted*, namely:—

"*(iv)* is in the opinion of the State Government, an eminent person having made valuable contribution in the field of education."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 5 of 2004

3—(1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982 (U. P. Act no. 5 of 1982) has been enacted to provide for the establishment of the Secondary Education Services Selection Board for the selection of teachers in institutions recognised under the Intermediate Education Act, 1921. Section 4 of the said Act provides for the composition of the Secondary Education Services Selection Board. The availability of adequate number of candidates for the appointment of the Chairman and members of the said Board was not possible due to the qualifications provided in the said section for the appointment to offices of the Chairman and members of the said Board and hence the section of teachers was being delayed. It was, therefore, decided to amend the said Act to make necessary changes in the qualifications of candidates for the appointment to the offices of the Chairman and members of the said Board.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Ordinance, 2004 (U. P. Ordinance no. 5 of 2004) was promulgated by the Governor on May 28, 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 395 राजपत्र (हि०)—2004—(1092)—597 (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 164 सा० विधा०—2004—(1093)—850 (कम्प्यूटर/आफसेट)।